राजस्व वाद संख्या:–148 / 2019
भालसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0
निर्णय दिनांक:–04/08/....2025

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू**
पीठासीन अधिकारी:– **श्री दीपक चंदन (आर.ए.एस.)**

**मु0नं0 148 / 2019**

1. भाल सिंह, उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री उमदाराम् जाति जाट, निवासी ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज०
2. मांगेराम सिंह, उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री उमदाराम जाति जाट निवासी ग्राम बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू–राज
3. फैला देवी पत्नी स्व० श्री मोंगेराम उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री उमदाराम, जाति जाट निवासी ग्राम बनगोठड़ी खुर्द, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज

**– आवेदक**

1. राजस्थान सरकार, जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज०
2. रामचन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल, जाति जाट, निवासी बनगोठडी खुर्द, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू–राज०
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल, जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू–राज०

**–अनावेदकगण**

**प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि मौजा ग्राम बनगोठड़ी खुर्द, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजा०, की सरहद में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 129 रकबा 0.03है० गै० मु० ढाणी, खसरा नं. 130 रकबा 4.36 है०, खसरा नं. 131 रकबा 0.25 है० के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त हैं।

यह कि मौजा ग्राम बनगोठडी खुर्द, तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू–राज०, की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 128 रकबा 2.51 है० के खातेदार काश्तकार अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 है।

यह कि आवेदकगण की खातेदारी की कृषि भूमि हाल खसरा नं. 129 रकबा 0.03 है० गै० मु० ढाणी खसरा नं. 130 रकबा 4.36 है० खसरा नं. 131 रकबा 0.25 है० के उत्तर दिशा में अनावेदकगण नं. 2 व न. 3 की खतोदारी काश्तकारी की भूमि हाल खसरा नं. 128 रकबा 2.51 है० स्थित है जिस पर अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 काबिज काश्त है तथा अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

नं. 2 व नं. 3 की कृषि भूमि खसरा नं. 128 के उत्तर दिशा में गोचर भूमि स्थित है जिसकी सींव से लगते हुए कृषि भूमि खसरा नं. 119 के उत्तर में कटानी रास्ता मौजूद है जो कि उपरोक्त वर्णित गोचर भूमि से हो कर अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 की कृषि भूमि खसरा नं. 128 तक आता है. जिस पर से अनावेदकमण के द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आवागमन किया जाता है।

यह कि आवेदन–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 की कृषि भूमि खसरा नं. 128 मार्क ईएफजीसी से व उसके उत्तर पूरब में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 119 स्थित है जिसके उत्तर में स्थित कटानी रास्ता मार्क जेकेएलएम से दर्शित किया गया है तथा उपरोक्त वर्णित गोचर भूमि में स्थित प्रचलित रास्ता मार्क आईएफजेके से दर्शित किया गया है तथा नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क GHIF से एक रास्ता 12 फीट चौड़ा दर्शित किया गया है जो रास्ता अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 की कृषि भूमि खसरा नं. 128 की पूर्वी सींव के साथ लगता हुआ मार्क जीएच से आरम्भ हो कर आगे उत्तर दिशा में स्थित गोचर भूमि में प्रवेश करता है, उक्त एक मात्र रास्ता से ही आवेदकगण अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 129 रकबा 0.03 है० गै० मु० ढाणी खसरा नं. 130 रकबा 4.36 है० खसरा नं. 131 रकबा 0.25 है० में प्रवेश कर आवागमन करते चले आ रहे हैं तथा यहाँ यह उल्लेखनीय है की उपरोक्त कृषि भूमि आवेदकगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क GHIF से दर्शित उपरोक्त वर्णित प्रचलित कदीमी रास्ता का उपयोग व उपभोग आवेदकगण अपनी कृषि भूमि में आवगमन हेतु परिपुष्ट तौर पर गत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं।

यह कि आवेदकगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु अनावेदकगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से खसरा नं. 128 के उत्तर में स्थित गोचर भूमि तक आवागमन हेतु अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 की कृषि भूमि खसरा नं. 128 में से आवेदकगण की कृषि भूमि हाल खसरा नं. 129 रकबा 0.03 है० गै० मु० ढाणी, खसरा नं. 130 रकबा 4.36 है०, खसरा नं. 131 रकबा 0.25 है० की उत्तरी सींव तक, जिसे नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क GHIF से दर्शित किया गया है 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहते हैं। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि हाल खसरा नं. 129 रकबा 0.03 है० गै० मु० ढाणी, खसरा नं. 130 रकबा 4.36है०, खसरा नं. 131 रकबा 0.25 है० में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वजूद में नहीं है तथा ना ही नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क GHIF से दर्शित उपरोक्त वर्णित रास्ता से नजदीक दूरी का अन्य कोई विकल्प अथवा रास्ता मौजूद नहीं है।

यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने बाबत अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा नजरी नक्सा में दर्शित लाल स्याही से बिन्दू ए से बी रास्ता प्रार्थी की भुमि में आने जाने के लिये सबसे निकटतम रास्ता है उक्त प्रस्तावित रास्ते से अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता नहीं लगता है प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि देने को तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–148/2019
भालसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0
निर्णय दिनांकः– 04/08/....2025

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की कृषि भूमि हाल खसरा नं. 129 रकबा 0.03 है० गै० मु० ढाणी, खसरा नं. 130 रकबा 4.36 है०, खसरा नं. 131 रकबा 0.25 है० वाके ग्राम बनगोठड़ी खुर्द, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज० उत्तर में अनावेदकगण नं. 2 व नं. 3 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 128 में से खसरा नं. 119 के उत्तर में स्थित गोचर भूमि तक आवेदकगण के आवागमन हेतु नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क GHIJ से दर्शित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर कटानी रास्ता 12 फुट चौड़ा रास्ता घोषित कर दर्ज किए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क GHIJ से दर्शित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर कटानी रास्ता दर्ज किए जाने हेतु अनावेदक नं. 1 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्राथीगण को बार बार आवाज लगाई गई आवाज पर अप्रार्थी न तो स्वयं हाजिर आए ना ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर आए। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वादी वकील की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2020/227 दिनांक 04.08.2020 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा राजस्व ग्राम की भूमि खसरा नं. 129, 130 के लिए वर्तमान में कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वादीगण को खसरा नम्बर 128 रकबा 2.51 है0 में से आने जाने का रास्ता चाहता है। मौके पर 580/127 रकबा 0.31 है0 पर खातेदारान का वर्तमान में कब्जा नहीं है। अतः खसरा नं. 128 के पूर्व की तरफ से रास्ता दिया जान संभव नहीं है अतः खसरा नं. 128 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता दिया जान उचित होगा। न्यायालय नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख लाल रंग से दर्शित रास्ते को कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–148/2019
भालसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै0
निर्णय दिनांकः– 04/08/....2025

## आदेश

तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2020/227 दिनांक 04.08.2020 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 129, 130 मौजा बनगोठड़ी खुर्द में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 128 में से की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 240 × 4 कुल क्षेत्रफल 960 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ता रास्ता कायम किया जाना की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

( श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 04/08/.....2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

( श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़